विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राम सूरत राजभर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
6 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आमीन आयुक्त प्रथम जनपद न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2024,12 नवम्बर, 2024, 11 दिसम्बर,2024 एवं दिनांक 10 जनवरी, 2025 को ग्राम- बेंती, परगना-बिजनौर, तहसील- सरोजिनी नगर, जनपद- लखनऊ ने तहसीलदार सरोजिनी नगर को खसरा संख्या 1314 एवं 1315 का सीमांकन करने के आदेश पारित किये गये थे?	जी हां।
(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित तहसीलदार एवं लेखपाल किन परिस्थितियों में सीमांकन हेतु उपरोक्त तिथियों में उपस्थित नहीं हुये?	उक्त अंकित सभी तिथियों में लेखपाल/राजस्व कर्मी स्थल पर सीमांकन हेतु मय अभिलेख उपस्थित रहे, परन्तु दिनांक 11-12-2024 को केवल एक बार ही अमीन आयुक्त न्यायालय, लखनऊ मौके पर उपस्थित हुये, जिसमें कार्य पूर्ण हुये बिना ही अमीन आयुक्त न्यायालय मौके से वापस चले गये। दिनांक 10-01-2025 को मौके पर राजस्व टीम उपस्थित रही एवं लगातार दूरभाष पर वादी-प्रतिवादी, आयुक्त अमीन से सम्पर्क स्थापित किया गया किन्तु कोई भी पक्ष मौके पर उपस्थित नहीं हुये।
(ग) क्या लगातार उपरोक्त तिथियों में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार एवं लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि हाँ, तो क्या ग्राम- बेंती, परगना बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, जनपद- लखनऊ खसरा संख्या-1314 एवं 1315 का सीमांकन कराकर	न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नार्थ, लखनऊ में योजित वाद सं0 1502/2021 प्रीती अग्रवाल बनाम प्रीतम सिंह में न्यायालय कमीशन हेतु अमीन आयुक्त की नियुक्ति की गयी है जिसमें अमीन आयुक्त द्वारा

सदन को अवगत करायेंगे?	प्रश्नगत गाटा संख्याओं की कमीशन/सीमांकन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है। अमीन आयुक्त द्वारा अगली तिथि नियत करने पर नियत दिनांक को अमीन आयुक्त के साथ कमीशन/सीमांकन में सहयोग हेतु क्षेत्रीय लेखपाल/ राजस्व टीम मौके पर उपस्थित रहेंगे।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।